न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
5/2022	11/03/2022	09/10/2025

1. उच्छव राज पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा
2. गिरिराज पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंघ
3. छोटूलाल पुत्र जगन्नाथीजाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंध हाल इटावा
4. मथुरी पुत्री बिरधा जाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंध
5. महावीर पुत्र जगन्नाथी जाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंध
6. मांगीलाल पुत्र रामकुवांरी जाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंध हाल गोणदी
7. चौथमल पुत्र रामकुंवारी जाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंध हाल गोणदी
8. हंसराज पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंध तहसील पीपलदा जिला कोटा राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

दी स्टेट जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल.आर. एक्ट

संशोधित निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खाते व कब्जा काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नई 38 व खाता संख्या पुरानी 21 सम्वत 2074 से 2077 को खसरा संख्या 9 रकबा 0.32 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम एवम लगानी 1.92 रूपये वाके माल ढीपरी कालीसिंध पटवार हल्का जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण नियमित रूप से रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में कब्जा काश्त चले आ रहे है एवम वर्तमान में भी मौके पर काबिज काश्त है। जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस संलग्न है। यह कि सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त कृषि आराजी बिरधा पुत्र दूधा जाति बैरवा निवासी ढीपरी कालीसिंध तहसील पीपल्दा जिला कोटा के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी। जिसके खसरा नम्बर 9 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 109/173 रकबा 3 बिस्वा, कुल किता दो की 4 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी सोयम तृतीय रिकॉर्ड दर्ज है। जिसकी नकल जमाबन्दी ग्राम ढीपरी कालीसिंध सम्वत 2029–32 व नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2041 से 2060 संलग्न है। यह कि सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त कृषि आराजी पर प्रार्थीगण के दादाजी 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर नियमित काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर रिकॉर्ड नाम दर्ज चला आ रहा है। जो रिकॉर्डेड खातेदार की हैसियत से मौके पर वर्तमान में नियमित काबिज काश्त करते चले आ रहे है। यह कि सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा उक्त खसरा नम्बर 9 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवम खसरा संख्या 109/173 रकबा 3 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 9 डाला गया है तथा रकबे में 2 बीघा 12 बिस्वा की कमी कर दी गयी है। इस प्रकार सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा उक्त रकबे में कमी करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने उक्त रकबे में की गयी कमी को पूर्ति करवाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के कानूनन अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के खाते एवम कब्जे काश्त की आराजी को सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 9 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा एवम खसरा नम्बर 109/173 रकबा 3 बिस्वा कुल 4 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर नया खसरा नम्बर 9 रकबा 0.32 हैक्टयर डालकर रिकॉर्ड में 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

कमी की गयी है, जिसकी पूर्ति किया जाकर कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से सी0एल0जाटवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त है। शामिल पत्रावली है।

तहसील रिपोर्ट जर्ये सरकार पैरोकार निम्नानुसार हैः–

ग्राम ढिबरी कालीसिंध की जमाबन्दी संवत 2074–77 की खाता सं0 38 ख0नं0 9 रकबा 0.32है0 किस्म बारानी सोयम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें उच्छव राज पुत्र जगन्नाथ 1/61 गिर्राज पुत्र जगन्नाथ 1/6, जगन्नाथी पुत्री बिरधा 1/4, महावीर पुत्र जगन्नाथ 1/16, रामकुवारी पुत्री बिरधा 1/4, हंसराज पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/16 जाति बैरवा सा0 देह खातेदार दर्ज है। संलग्न सेटलमेंट नकल के आधार पर सेटलमेंट से पूर्व उक्त कृषि आराजी बिरधा पुत्र दुधा जाति बैरवा नि0 ढिबरी कालीसिंध तह0 पीपल्दा जिला कोटा के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी जिसके अनुसार ख0नं0 9 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 109/173 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी सोयम तृतीय रिकॉर्ड दर्ज है। वर्तमान में उक्त खातेदारान का कब्जा 4 बीघा 12 बिस्वा पर है।

संलग्न दस्तावेजः–

1. नकल जमाबन्दी ग्राम ढीबरी कालीसिंध सम्वत 2029–32
2. नकल नक्शा ट्रेस नया
3. नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम ढीबरी चम्बल सम्वत 2041–60
4. नकल जमाबन्दी ग्राम ढीबरी कालीसिंध 2074–77
5. नकल मृत्यु प्रमाण पत्र रामकंवरी बाई
6. नकल मृत्यु प्रमाण पत्र जगन्नाथी बाई

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम ढीबरी कालीसिंध का प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीयान का खातेदारी ख0नं0 9 रकबा 0.32है0 एवं पटवारी रिपोर्ट में प्रस्तावित ख0नं0 8/240 रकबा 0.75है0 नवनेरा परियोजना (जल संसाधन खण्ड प्रथम कोटा) के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीयान के विद्वान अधिवक्ता यह सिद्ध नही कर पाये कि पुराने ख0नं0 9 के नवीन ख0नं0 का रकबा कम किया है जो किस ख0 नम्बर में शामिल किया गया है एवं प्रार्थीयान का कमी पूर्ति रकबे पर किस ख0नं0 पर कब्जा काश्त है।

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0नं0 पर कब्जा काश्त एवं कमी/बेशी रकबा सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा